**सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश**
1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2555700 फैक्स-2552665
ईमेल- dir.socialjustice@nic.in

क्रमांक/पेंशन/54/444 भोपाल दिनांक 18/11/2019

प्रति,

**समस्त कलेक्टर**
मध्यप्रदेश।

विषयः - पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन के दौरान मृत किये गये पेंशनरों को पुन: रिकवर किये जाने विषयक।

संदर्भ :- संचालनालय पत्र क्रमांक/सा.सहा./02/2019/834 दिनांक 31/05/2019 एवं पत्र क्रमांक सा.सहा./2019/849 दिनांक 01/06/2019

---

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांगों को आर्थिक सहायता आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति (पात्र/अपात्र/मृत/ पलायन) को ही सावधानीपूर्वक पेंशन पोर्टल पर दर्ज किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। किन्तु प्राय: यह देखने में आया है कि जनपद पंचायतों/ नगरीय निकायों द्वारा पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल पर त्रुटिवश मृत घोषित करने के उपरांत उन्हें रिकवर करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, जो कि इस बात को दर्शित करता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पेंशन हितग्राही को पोर्टल पर मृत किये जाने संबंधी कार्यवाही गंभीरता पूर्वक नहीं किया गया है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की वास्तविक स्थिति(पात्र/अपात्र/मृत/पलायन) को ही सावधानीपूर्वक पेंशन पोर्टल पर दर्ज किया जाये एवं सदस्तावेजों के आधार पर ही सत्यापन की स्थिति को पोर्टल पर लॉक किया जाये। त्रुटिवश मृत रिपोर्ट किये गये पेंशन हितग्राहियों को अनलॉक करने हेतु संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के माध्यम से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन मय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया जाये। किसी भी पात्र हितग्राही की पेंशन बंद होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी एवं जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों के अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।

**(कृष्ण गोपाल तिवारी)**
**संचालक**
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण, संचालनालय

पृ. क्रमांक/ पेंशन/ 54/445 भोपाल दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समुस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त नगर निगम मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक/ नगर पंचायत मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/11/19

उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन

कल्याण, संचालनालय